

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड मुक्त
विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या— / जी०एस०/ शिक्षा/ C7-12(1)/ 2019

देहरादून : दिनांक : 23 जुलाई, 2025

आदेश

एतद्वारा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली-2009 के परिनियम-4 के खण्ड-(2) के अधीन नियमित कुलपति के चयन के सम्बन्ध में गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से परिनियम-4 के खण्ड-(1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अग्रेत्तर आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर—

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या - 23229 (1)/ जी०एस०(शिक्षा)/ C7-12(1)/ 2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति-उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
6. कुलपति-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
7. प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
9. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रविनाथ रामन)

सचिव मा० राज्यपाल/ कुलाधिपति।